राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1480 व 1481/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान– मैसर्स महेश बूरा उद्योग, जयपुर बनाम् वा.क.अ. वृत्त–एफ, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2014	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री एस.के.जैन व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय अधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.07.2014, जो कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम 1999" कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमों, 1999 के नियम 20 के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध अधिनियम की धारा 24 के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.03.2013 को अधिनियम की धारा 12, 34ए, 35 व 45 के तहत् पारित निर्धारण आदेश वर्ष 2009–10 एवं 2010–2011 के अन्तर्गत कायम मांग राशि रू0 3,03,224/– व रू. 5,65,813/–में से प्रवेश कर का 50 प्रतिशत राशि 15 दिवस में जमा कराने पर शेष राशियों की वसूली पर स्थगन अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है,जिसको कर बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई है।उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2011–12 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 की प्रति पेश करते कथन किया कि अधिनियम के तहत सृजित समस्त मांग राशि पर स्थगन प्रदान किया है, जबकि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के अन्तर्गत कायम मांग राशि रू0 3,03,224/– व रू. 5,65,813/–में से प्रवेश कर का 50 प्रतिशत राशि 15 दिवस में जमा कराने पर शेष राशियों की वसूली पर स्थगन अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रथम–दृष्ट्या प्रकरणों में वसूली पर रोक लगाने के संबंध में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया गया । अतः प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना	

प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में, अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य **डी.बी.सी.डब्लू.पी कमांक 13765/2010 निर्णय दिनांक 01.12.2010** को प्रोद्धरित कर, कथन किया गया कि "**अधिनियम, 1999**" संवैधानिकता का बिन्दु माननीय शीर्ष न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष न्यायाधीन है। अतः ऊपर वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रकरण सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया गया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा 1542/2011/जयपुर मैसर्स के.ई.सी.इण्टरनेशल लिमिटैड, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अ अधिकारी, विशेष वृत–षष्टम, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2011 को उद्धृत कर स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक **01.12.2010** मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम् राज. सरकार खण्डपीठ– **सिविल पिटीशन संख्या–13765/2010 में माननीय न्यायालय द्वारा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया गया है।** इस संबंध में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा देय कर राशि की 50 प्रतिशत राशि अपीलार्थी द्वारा जमा कराये जाने की शर्त पर 50 प्रतिशत कर की राशि, शास्ति व अनुवर्ती ब्याज की सम्पूर्ण राशि की वसूली के विरूद्ध रोक आज्ञा प्रदान कर, अधिकतम राहत प्रदान कर दी है, जो उचित एवम् न्यायसम्मत है। ऐसा ही मत विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित अपील में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतः, विवेचित तथ्यों के प्रकाश में, यह एकलपीठ अपीलार्थी की अपील में इस प्रकम पर रोक संबंधी राशि के विषय में ऐसा कोई बल नहीं पाती कि उसे किसी अन्य राशि बाबत् वसूली पर रोक आज्ञा प्रदान की जाये। लिहाजा, प्रस्तुत अपील व रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य